निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 431) पटना, मंगलवार, 28 अगस्त 2012

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

6 अगस्त 2012

सं0 वि०स०वि०-15/2012-3882/वि०स० ।—''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2012'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 06 अगस्त, 2012 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

लक्ष्मीकान्त झा,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा, पटना ।

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2012

[वि०स०वि०-11/2012]

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम–23, 2011) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–12 में संशोधन** ।– धारा–12 की उप–धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तैंतीस (33)" एवं "तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''तिरसठ (63)" एवं " साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–13 में संशोधन** ।– धारा–13 की उप–धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक **''तैंतीस (33)", एवं, "तीस (30)"** शब्द, **कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63)" एवं "साठ (60)"** द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

उद्देश्य एवं हेतु

इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के अधीन अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय एवं शिविर न्यायालय में दायर दाखिल–खारिज के वैसे आवेदन जिनमें आपत्ति प्राप्त हुई हो, के निष्पादन की समय सीमा 33 (तैंतीस) कार्य दिवस के स्थान पर 63 (तिरसठ) कार्य दिवस (आदेश पारित करने हेतु 60 कार्य दिवस एवं शुद्धि–पत्र निर्गत करने हेतु 03 कार्य दिवस) किये जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा क्रमशः–12(2) एवं 13(2) में आवश्यक संशोधन किया जाना है। आपत्ति प्राप्त मामलों में संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने, साक्ष्य ग्रहण करने एवं साक्ष्यों के विश्लेषण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान 33 कार्य दिवस भी समय–सीमा पर्याप्त नहीं पाया जा रहा है। अतः उक्त समय–सीमा को 63 कार्य दिवस के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है।

इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य आपत्ति प्राप्त दाखिल खारिज मामलों में निष्पादन की समय–सीमा 33 कार्य दिवस से बढ़ाकर 63 कार्य दिवस किये जाने का प्रावधान करने हेतु धारा–12(2) एवं 13(2) में आवश्यक संशोधन करना है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ठ है।

(रमई राम)
भार साधक सदस्य

पटनाः
दिनांकः 06 अगस्त, 2012

लक्ष्मीकान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 431-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in